



Govt. Engineering College Bikaner

(AN AUTONOMOUS INSTITUTION OF GOVT. OF RAJASTHAN)

Karni Industrial Area, Pugal Road, Bikaner-334004 (Raj.)

Phone: (+91)151-2253404 Fax: (+91)151-2252919

Email: principal@ecb.ac.in Web: www.ecb.ac.in

Ref. No. F1(C22)/ESTH/ECB/460/2018/491/1455

Dated:- 14.8.18

Office Order

In compliance of Technical Education Department letter no 22(7)/T.E. /09 dated 10 August 2018, undertaking (in attached format) is to be submitted by all the candidates for consideration of promotion under CAS. Undertaking should be submitted on or before 16/08/2018 in establishment section.

PRINCIPAL

Copy to:

1. All Concern through Head
2. Establishment Section
3. JS Tech. Edu., Govt. of Rajasthan (for kind information)

Pl. also put on Inst. web. site

14-8-18

PRINCIPAL

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : 22(7)त.शि./09

जयपुर, दिनांक, 10 अगस्त 2018

कार्यवाही विवरण

संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा की अध्यक्षता में राज्य की अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों को एजीपी 6000-7000 एजीपी 7000-8000 एजीपी 8000-9000 एवं एजीपी 9000-10000 का लाभ दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की दिनांक 9.8.2018 एवं 10.8.2018 को तकनीकी शिक्षा भवन, झालाना डूंगरी जयपुर में बैठक आयोजित की गई।

उक्त बैठक में एजीपी 6000-7000 एजीपी 7000-8000 के प्रकरणों के संबंध में प्राचार्यों को विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.7.2018 एवं 1.8.2018 के द्वारा उनके स्तर से महाविद्यालय स्तर पर स्क्रीनिंग कम एविलेशन कमेटी के माध्यम से कार्यपूर्ण करवाकर अभिशंका के साथ प्रस्ताव अनुमोदन हेतु लाने के लिये निर्देशित किया गया था। जो महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा कमेटी को लिफाफे उपलब्ध करवा दिये गये हैं।


एजीपी 8000-9000 एवं एजीपी 9000-10000 के प्रकरणों के संबंध में साक्षात्कार लिये जाने हेतु अन्य महाविद्यालयों के विषय-विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था।

महाविद्यालय के अभ्यर्थियों को CAS का लाभ दिये जाने से पूर्व अभ्यर्थियों के संबंध में प्राचार्यों को निम्न अंडर टेकिंग लेने हेतु निर्देश दिये गये:-

- 1 अभ्यर्थियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया लंबित नहीं है।
- 2 अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालयों में इस संबंध में वाद दायर नहीं किया हुआ है।
- 3 अभ्यर्थियों के गोपनीय प्रतिवेदन संतोषप्रद है।
- 4 अभ्यर्थियों के विरुद्ध बकाया वसूली का प्रकरण लंबित नहीं है।
- 5 अभ्यर्थियों का चयन नियमित रूप से किया गया है।


उपरोक्तानुसार अंडरटेकिंग प्राप्त कर पत्रावली पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावेगी।
मीटिंग सधन्यवाद संपन्न हुई।

भवदीय


संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, तकनीकी शिक्षा।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा।
- 3 अतिरिक्त निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
- 4 प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर/कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी बीकानेर/झालवाड/भरतपुर/अजमेर/महिला अजमेर/एमएलवीटीई भीलवाडा।
- 5 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त सचिव, त.शि.

UNDERTAKING

मैं.....पुत्र/पुत्री.....
(ब्याख्याता, सहायक आचार्य, सह-आचार्य) के रूप में दिनांक से अभियांत्रिकी
महाविद्यालय बीकानेर में नियमित रूप से सेवारत हूँ। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत लाभ
प्राप्त करने हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 22(7)त.शि./09 दिनांक 10 अगस्त
2018 के क्रम में निम्नलिखित अडरटेकिंग करता हूँ:

1. मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीया जांच प्रक्रिया लंबित नहीं है।
2. मेरे द्वारा/मेरे विरुद्ध माननीय न्यायालय में इस संबंध में वाद दायर नहीं किया हुआ है।
3. मेरी सेवाएं अनवरत रूप से संतोषप्रद हैं क्योंकि मुझे लगातार वार्षिक वेतन वृद्धि मिल रही है।
4. मेरे विरुद्ध बकाया वसूली का प्रकरण लंबित नहीं है।
5. मेरा चयन नियमित रूप से किया गया है।

हस्ताक्षर:-

नाम:-

पदनाम:-

दिनांक:-